[2015] 3 एस. सी. आर. 321

जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य

बनाम

आय कर अधिकारी और अन्य

(1997 की सिविल अपील सं. 7796)

फरवरी 18,2015

[न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा]

आय कर अधिनियम, 1961: धारा 9(1)(vii)(b)- ऋण प्राप्त करने के लिए पेशेवर सलाह प्रदान करने और अन्य वित्तीय और सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता कंपनी द्वारा अनिवासी कंपनी (एनआरसी) को देय सफलता शुल्क– क्या अधिनियम के तहत सफलता शुल्क प्रभार्य है और क्या अपीलकर्ता-कंपनी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की हकदार है– आयोजित: एनआरसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अन्य बातों के अलावा, ऋणदाता को दी जाने वाली वित्तीय संरचना और सुरक्षा पैकेज, स्थानीय और विदेशी उधार के लिए विभिन्न ऋण विकल्पों का अध्ययन, दुनिया भर में विशेषज्ञ ऋण निगमों का मूल्यांकन करना और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी शर्तों पर वाणिज्यिक बैंक से सहायता प्राप्त करना, ऋणदाताओं के साथ ऋण वार्ता और दस्तावेज़ीकरण में अपीलकर्ता कंपनी की सहायता करना, समन्वित और शीघ्र तरीके से परियोजना के लिए वित्तपोषण की

संरचना, बातचीत और समापन करना शामिल है—एनआरसी द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रकृति 'परामर्श सेवा' शब्द के दायरे में आएगी और इसलिए, स्रोत पर कर काटा जाना चाहिए क्योंकि भुगतान किया गया शुल्क 'तकनीकी सेवा के लिए शुल्क' के तहत कर योग्य थ– एक बार देय कर का भुगतान हो जाने के बाद 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' देना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था - कर/कराधान।

कर/कराधान: सिद्धांत "निवास की स्थिति और "आय के स्रोत की स्थिति"—की प्रयोज्यता।

शब्द और वाक्यांश: शब्द 'परामर्श– का अर्थ

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित:

1. मुख्य प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 9(1)(vii) का खंड (बी) है। उक्त प्रावधान एक अपवाद प्रस्तुत करता है। खंड (बी) के उत्तरार्ध में दिया गया अपवाद उस स्थिति पर लागू होता है जब किसी भारतीय भुगतानकर्ता द्वारा भारत के बाहर किए गए व्यवसाय या पेशे के लिए या आय अर्जित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली सेवाओं के संबंध में भारतीय करदाता द्वारा शुल्क देय होता है यानी, भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय अर्जित करने या अर्जित करने के उद्देश्य से भुगतानकर्ता। खंड बी उस सिद्धांत को बताता है जिसे मूल रूप से "स्रोत नियम" के रूप में जाना जाता है, अर्थात, प्राप्तकर्ता की आय उस देश में शुल्क योग्य है या शुल्क लगाया जाना चाहिए जहां भुगतान का स्रोत स्थित

है, स्पष्ट करने के लिए, जहां भुगतानकर्ता स्थित है। खंड आगे यह आदेश देता है और इसकी अपेक्षा करता है कि सेवाओं का उपयोग भारत में किया गया हो। [पैरा 22) [342-बी-डी]

2. दो सिद्धांतों, अर्थात् "निवास की स्थिति" और "आय के स्रोत की स्थिति" में अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में विचलन और अंतर देखा गया है। सिद्धांत "निवास राज्य कराधान" निर्धारिती के निवास के देश को प्रधानता देता है। यह सिद्धांत प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति के निवास के देश में विश्वव्यापी आय और विश्वव्यापी पूंजी के कराधान को दर्शाता है। "स्रोत राज्य कराधान" नियम उस राज्य/राष्ट्र को किसी विशेष आय या लेनदेन पर कर लगाने के अधिकार की प्रधानता प्रदान करता है जहां उक्त आय का स्रोत स्थित है। दूसरा नियम लेनदेन विशिष्ट है। स्रोत राज्य अपने क्षेत्र के भीतर लेनदेन या पूंजी पर कर लगाना चाहता है, भले ही आय लाभ किसी गैर-निवासी व्यक्ति, यानी दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति का हो। दोनों सिद्धांत विभिन्न देशों में घरेलू कानून में भी लागू होते हैं। [पैरा 24 और 25] [343-बी-एफ, एच]

3. शुल्क जिसे निर्धारिती द्वारा "सफलता शुल्क" नाम दिया गया है, एनआरसी को भुगतान कर दिया गया है। देखना यह है कि क्या अनिवासी को किया गया भुगतान अधिनियम की धारा 9(1)(vii) के स्पष्टीकरण (2) में निहित अभिव्यक्ति "तकनीकी सेवा के लिए शुल्क" के तहत कवर किया जाएगा। उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ है प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श

सेवाएं प्रदान करने में कोई भी प्रतिफल, चाहे वह एकमुश्त हो या आवधिक। इसमें प्राप्तकर्ता या अनिवासी द्वारा किए गए किसी भी निर्माण, संयोजन, खनन या ऐसी परियोजनाओं के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल को शामिल नहीं किया गया है जो "वेतन" मद के अंतर्गत गैर-प्राप्तकर्ता या अनिवासी के हाथों कर योग्य होगा। मौजूदा मामले में, उक्त अपवाद लागू नहीं होते हैं। जांच करने की आवश्यकता इस बात की है कि अपीलकर्ता ने योग्य और अनुभवी पेशेवरों की विशेषज्ञ सेवाओं का उपयोग करने का इरादा और इच्छा जताई थी जो बिजली परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्त और संबंधित ऋण जुटाने के लिए एक योजना तैयार कर सकें। चूंकि कंपनी को भारत में कोई पेशेवर नहीं मिला, इसलिए उसने स्विट्जरलैंड स्थित सलाहकार एनआरसी से संपर्क किया, जिन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ, ऋणदाता को दी जाने वाली वित्तीय संरचना और सुरक्षा पैकेज, स्थानीय और विदेशी उधार के लिए विभिन्न ऋण विकल्पों का अध्ययन, दुनिया भर में विशेषज्ञ क्रेडिट एजेंसियों का मूल्यांकन करना और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी शर्तों पर वाणिज्यिक बैंक से सहायता प्राप्त करना, ऋणदाताओं के साथ ऋण वार्ता और दस्तावेज़ीकरण में अपीलकर्ता कंपनी की सहायता करना, संरचना करना, समन्वित और शीघ्र तरीके से परियोजना के लिए बातचीत करना और वित्त पोषण को पूरा करना। एनआरसी द्वारा संबोधित पत्र और बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एनआरसी का दायित्व था: (i) परियोजना की रुपये

और विदेशी मुद्रा ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधित व्यापक वित्तीय मॉडल विकसित करना। (ii) दुनिया भर में विशेषज्ञ क्रेडिट एजेंसियों की सहायता करना और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी शर्तों पर वाणिज्यिक बैंक सहायता प्राप्त करना। (iii) ऋणदाताओं के साथ ऋण वार्ता और दस्तावेज़ीकरण में अपीलकर्ता कंपनी की सहायता करना। एनआरसी द्वारा किए गए उक्त परिश्रम के परिणामस्वरूप, कंपनी भारत में आईडीबीआई से ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सफल रही, जिसने रुपये की ऋण आवश्यकता के लिए प्रमुख फाइनेंसर के रूप में काम किया। विदेशी मुद्रा ऋण की आवश्यकता के लिए अपीलकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन डी.सी., यूएसए से संपर्क किया और सफल रहा। [पैरा 28-32] [345-बी-एच; 347-ए-डी; 348-बी]

4. 'परामर्श' शब्द को किसी से सलाह या राय मांगने (जैसे वकील) के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब एक बैठक है जिसमें एक दल परामर्श करता है या प्रदान करता है और अंततः इसका परिणाम मानवीय अंतःक्रिया में होता है जो सलाह प्रदान करने की ओर ले जाता है। मौजूदा मामले में, एनआरसी ने एक सलाहकार के रूप में काम किया था। इसमें विशेष क्षेत्र में गुण, कौशल और ज्ञान था यानी आवश्यक वित्त के लिए एक योजना तैयार करना और आवश्यक ऋणों का अनुबंध करना। एनआरसी द्वारा निर्दिष्ट सेवा की प्रकृति, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 'परामर्श सेवा' शब्द के दायरे में आएगी और इसलिए, यह

सही माना गया है कि स्रोत पर कर काटा जाना चाहिए था क्योंकि शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि 'तकनीकी सेवा के लिए शुल्क' के तहत कर योग्य हो सकती है। एक बार देय कर का भुगतान हो जाने के बाद 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' देना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था। [पैरा 36 और 37] [349-एफ-एच; 350-ए-सी]

इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सी.आई. टी. **(1990) 183 आईटीआर 43 (एससी):(1989) पूरक 2 एसईसी 642**; *सी.आई.टी. बनाम अग्रवाल एंड कंपनी* **(1965) 56 आईटीआर 20**; *सी.आई. टी. बनाम टीआरसी* **(1987) 166 आईटीआर 1993**; *वीरेंद्र प्रसाद राय बनाम आईटीसी* **(1981) 129 आईटीआर 295**; **इन रे पी.सं. 1999 का 28 (1999) 242 आईटीआर 280**; *सी.आई.टी. बनाम भारती सेल्युलर लिमिटेड और अन्य* **(2009) 319 आईटीआर 139 –** संदर्भित।

लीग ऑफ नेशंस, रिपोर्ट ऑन डबल टैक्सैशन बाइ ब्रुइन्स इनाउदी, सैलिगमैन एण्ड सर जोसियाह स्टेन (1923); क्लान्स वोगेल, वर्ल्ड वाइड वी. सोर्स टैक्सैशन ऑफ इन्कम–रिव्यू एण्ड रिविज़न ऑफ आरग्यूमेन्टस (1988); द इन्ट्रोडक्शन ऑफ क्लाउस वोगेल ऑन डबल टैक्सैशन कन्विक्शन, साउथ एशियन रीप्रिन्ट एडिशन 2007–संदर्भित।

निर्णय विधि संदर्भ

(1989) पूरक 2 एसईसी 642	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 13**
(1965) 56 आईटीआर 20	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 19**

(1987) 166 आईटीआर 1993	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 19**
(1981) 129 आईटीआर 295	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 19**
(1999) 242 आईटीआर 280	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 34**
(2009) 319 आईटीआर 139	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 35**

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: 1997 से सिविल अपील सं 7796

हैदराबाद उच्च न्यायालय के 1995 की रिट याचिका सं 6866 में दिनांक 02.05.1997 के निर्णय और आदेश से।

यू. ए. राणा, मृणाल एल्कर मजूमदार, हिमांशु मेहता, गगराट एंड कंपनी अपीलकर्ताओं के लिए।

अरिजीत प्रसाद, रुपेश कुमार, तनुश्री सिन्हा, गार्गी खन्ना, अनिल कटियार, सुषमा सूरी उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा

1. अपीलकर्ता संख्या 1 कंपनी 1956 के अधिनियम के तहत 839 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जेगुरुपाडु, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में 235 मेगावाट की गैस आधारित बिजली परियोजना स्थापित करने के उद्देश्य से निगमित कंपनी है और अपीलकर्ता संख्या 2 कंपनी के निदेशक हैं। अपीलकर्ता कंपनी का मुख्य उद्देश्य बिजली पैदा करना और बेचना है।

2. योग्य और अनुभवी पेशेवरों की विशेषज्ञ सेवाओं का उपयोग करने के इरादे से, जो आवश्यक वित्त जुटाने और आवश्यक ऋण के लिए एक योजना तैयार कर सकते हैं, इसने एक सलाहकार की सेवाएं मांगी और आखिरकार एबीबी - प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेड फाइनेंस इंटरनेशनल लिमिटेड, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, (इसके बाद "अनिवासी कंपनी/एनआरजी" के रूप में संदर्भित) के साथ एक समझौता किया। एनआरसी ने अपीलकर्ता-कंपनी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 08 जुलाई, 1993 से उसकी परियोजना के लिए वित्तीय सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रस्तुत कीं। उन सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ, ऋणदाता को दी जाने वाली वित्तीय संरचना और सुरक्षा पैकेज, दुनिया भर में निर्यात ऋण एजेंसियों का मूल्यांकन करना और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी शर्तों पर वाणिज्यिक बैंक सहायता प्राप्त करना, ऋणदाताओं के साथ ऋण वार्ता और दस्तावेज़ीकरण में अपीलकर्ता सहायता करना, समन्वित और शीघ्र तरीके से परियोजना के वित्तपोषण की संरचना के लिए बातचीत करना और पूरा करना शामिल है। अपनी सेवाओं के लिए एनआरजी को कुल ऋण वित्तपोषण के 0.75% की दर से "सफलता शुल्क" का भुगतान किया जाना था। उक्त प्रस्ताव 21 अगस्त, 1993 को कंपनी की बोर्ड बैठक के समक्ष रखा गया और निदेशक मंडल ने एनआरसी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी और सलाह दी कि इसे कंपनी द्वारा शेयर के प्रस्तावित सार्वजनिक निर्गम में शामिल किया जाए। एनआरसी ने ज्यूरिख से पत्राचार द्वारा पेशेवर सेवाएं प्रदान कीं कि देश के भीतर और बाहर वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए दस्तावेजों

को कैसे निष्पादित किया जाए। एनआरसी की सलाह के साथ अपीलकर्ता-कंपनी ने भारतीय वित्तीय संस्थानों से संपर्क किया, जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) उसकी रुपया ऋण आवश्यकता के लिए अग्रणी वित्तदाता के रूप में कार्य कर रहा था और अपनी विदेशी मुद्रा ऋण आवश्यकता के हिस्से के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), वाशिंगटन डीसी, यूएसए से संपर्क किया। सेवाओं के सफल प्रतिपादन के बाद एनआरसी ने अपीलकर्ता-कंपनी को सफलता शुल्क राशि यानी, यूएस $.17,15,476.16 (5.4 करोड़ रुपये) के भुगतान के लिए चालान भेजा।

3. जैसा कि तथ्य सामने आएंगे, उक्त चालान की प्राप्ति के बाद अपीलकर्ता-कंपनी ने संबंधित आयकर अधिकारी, यहां पर पहले प्रतिवादी, से संपर्क किया ताकि उक्त राशि को विधिवत रूप से भेजने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी किया जा सके, जिसमें बताया गया कि एनआरसी के पास भारत में व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है; कि इसके द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाएँ भारत के बाहर से थीं; और यह कि सफलता शुल्क का कोई भी हिस्सा एनआरसी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') के तहत देयता को आकर्षित करते हुए भारत में उत्पन्न या अर्जित हुआ या उत्पन्न या अर्जित हुआ समझा जाना नहीं माना जा सकता है। यह भी कहा गया था कि एनआरसी का कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था इसलिए धारा 9(1)(i) लागू नहीं होती है

और इसके अलावा एनआरसी ने कोई तकनीकी सेवाएं प्रदान नहीं की थी इसलिए धारा 9(1)(vii) भी लागू नहीं होती है। कंपनी द्वारा दायर आवेदन को स्कैन करने वाले पहले प्रतिवादी ने 27 सितंबर, 1994 के अपने आदेश द्वारा 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने से इनकार कर दिया। पहले प्रतिवादी द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट होने के कारण अपीलकर्ता-कंपनी ने अधिनियम की धारा 264 के तहत आयकर आयुक्त, हैदराबाद, यहाँ दूसरा प्रतिवादी, के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। 21 मार्च, 1995 को दूसरे प्रतिवादी ने अपीलकर्ता-कंपनी को कर की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करके एनआरसी को उक्त राशि भेजने की अनुमति दी। कंपनी ने उक्त आदेश का अनुपालन करने के लिए कदम उठाए लेकिन बाद में 25 अक्टूबर, 1995 को पुनरीक्षण प्राधिकारी ने पूर्व आदेश को रद्द कर दिया और कंपनी को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए एक शर्त के रूप में कर कटौती करने और उसे केंद्र सरकार के खाते में भुगतान करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, पहले प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई और परिणामस्वरूप पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।

4. पुनरीक्षण में सफलता न मिलने के कारण कंपनी को आयकर अधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को रद्द के लिए सर्टिओरीरी रिट जारी करवाने के लिए 1995 के डब्लूपी संख्या 6866 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिट

याचिका में अधिकारियों के समक्ष रखे गए रुख और रवैये को दोहराया गया।

5. राजस्व की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया कि एनआरसी न केवल ऋण की व्यवस्था करने में, बल्कि विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में भी बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था, जो प्रबंधकीय और परामर्श सेवाओं दोनों के दायरे में आती हैं।

6. 8 जुलाई, 1993 के पत्र का संदर्भ दिया गया था, जिससे यह स्पष्ट है कि एनआरसी विश्वव्यापी अनुभव वाला एक वित्तीय सलाहकार है और भारत में कार्यरत है और अनुरोध किया गया है कि इसे परियोजना के लिए "वित्तीय सलाहकार" के रूप में नियुक्त किया जाए। कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 2.8.1994 द्वारा एनआरसी को वित्तीय सलाहकार नियुक्त करके जवाब दिया। राजस्व की ओर से, निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही को उजागर करते हुए कहा गया कि उन्होंने खुलासा किया कि एनआरसी को न केवल ऋण की व्यवस्था करने के लिए नियुक्त किया गया था, बल्कि कई अन्य वित्तीय और सामान्य सेवाएं प्रदान करने और कंपनी के सार्वजनिक निर्गम में खुद को शामिल करने के लिए भी नियुक्त किया गया था और उस आधार पर यह आग्रह किया गया था कि यह पूरी तरह से अधिनियम की धारा 9(1)(vii)(बी) के दायरे में आता है। यह भी तर्क दिया गया कि एनआरसी एबीबी का एक वित्तीय खंड है जो आईएफसी, वाशिंगटन के

अलावा अपीलकर्ता कंपनी की हिस्सेदारी में भाग ले रहा है। राजस्व का आगे का रुख यह था कि धारा 5(2) धारा 9(1)(i)(vii)(बी) के साथ पढ़ी जाए यह कंपनी द्वारा एनआरसी में किए जाने वाले प्रेषण पर लागू होगा क्योंकि आय को भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाएगा और इसलिए, भारतीय कंपनी एनआरसी को कोई भी पैसा भेजने से पहले निर्धारित दर पर कर काटने के लिए उत्तरदायी थी। नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा पारित आदेश इस आधार पर समर्थित किया गया था कि भारत में कंपनी के साथ एनआरसी के बीच एक व्यावसायिक संबंध है और दोनों शाखाओं के बीच भारी पत्राचार से उक्त संबंध का खुलासा होता है। यह भी तर्क दिया गया कि एनआरसी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं एक बार का मामला नहीं था, जैसा कि अभिकथित किया गया था, क्योंकि कंपनी ने आईडीबीआई इंडिया और आईएफसी, वाशिंगटन से प्रसंस्करण, बातचीत और ऋण प्राप्त करने के लिए स्वयं एनआरसी की ओर से काम किया था। इस तथ्य पर जोर दिया गया कि कंपनी ने एनआरसी का अनुबंध न केवल ऋण प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य के लिए किया था, बल्कि अपनी व्यावसायिक गतिविधि में आगे की भागीदारी के लिए भी किया था, जो कि दोनों के बीच किए गए पत्राचार से स्पष्ट था और इसलिए, आय अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में एनआरसी के लिए अर्जित या उत्पन्न हुई मानी जाएगी। आयकर आयुक्त द्वारा निरस्तीकरण के आदेश को उचित ठहराते हुए, यह बताया गया कि दिनांक 21.03.1995 का आदेश केवल एक अंतरिम आदेश था और अंतिम आदेश 25.10.1995 को पारित किया गया जिसके द्वारा पुनरीक्षण

खारिज कर दिया गया था। राजस्व द्वारा यह दावा किया गया था कि एनआरसी की सेवाएं, जैसा कि अभिलेख पर लाई गई सामग्री से पता चलता है, भारत के भीतर प्रदान की गई थीं और इसलिए, कंपनी एनआरसी को "सफलता शुल्क" भेजने से पहले आयकर काटने के लिए कानूनन बाध्य है। इस आधार पर 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) देने से इनकार को उचित ठहराने की मांग की गई।

7. अपीलकर्ता कंपनी द्वारा एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि एनआरसी एक स्वतंत्र इकाई है और एक तरह से एबीबी द्वारा अनुषंगित है। इसके अलावा, केवल इसलिए कि विशेषज्ञ की सलाह प्राप्त की गई थी, यह नहीं कहा जा सकता है कि इसने एनआरसी की ओर से ऋण/वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पर कार्रवाई की और आगे सलाहकार सेवाएं भारत के बाहर से प्रदान की गईं। राजस्व का यह रुख कि कंपनी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि कंपनी द्वारा एनआरसी के साथ व्यावसायिक संबंध था, विवादित था। यह बताया गया कि कंपनी हमेशा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने और उसे आगे बढ़ाने से सीधे संबंधित प्रमुख थी; कि एनआरसी का भारत में किसी भी प्रासंगिक समय पर कोई कार्यालय या प्रतिष्ठान नहीं था; यह ज्यूरिख से संचालित होती था; कंपनी और एनआरसी के बीच कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था; और यह कि सफलता शुल्क भारत में एनआरसी के लिए अर्जित या उत्पन्न नहीं हुआ और इसलिए, भारत में एनआरसी के लिए कोई आय

अर्जित या उत्पन्न नहीं मानी गई है। उपरोक्त के अलावा यह आग्रह किया गया था कि धारा 9(1)(i) और धारा 9(1)(vii) को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और उस स्थिति में राजस्व का रुख बिल्कुल अनुचित था और यह मानते हुए कि अधिनियम की धारा 9(1)(vii) को अलग से पढ़ा जाता है, एनआरसी द्वारा प्रदान की गई सेवा की प्रकृति के संबंध में स्पष्ट व्याख्या लागू नहीं हो सकती है। यह भी दलील दी गई कि केवल इसलिए कि भारत के बाहर से प्रदान की गई सेवाओं के लिए अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा भारत में एनआरसी को सफलता शुल्क की राशि का भुगतान किया गया था, एनआरसी की आय को भारत में अर्जित या उत्पन्न नहीं माना जाएगा।

8. उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित दो मुद्दे विचार के लिए तय किए:

"(1) क्या याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा एनआरसी को देय 'सफलता शुल्क' या उसका कोई हिस्सा अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य है; और

(2) क्या याचिकाकर्ता-कंपनी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की हकदार है।"

9. उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 2 के खंड (बी) और अधिनियम की धारा 9 का उल्लेख किया और अभिव्यक्ति की ओर इशारा किया, भारत में किसी भी व्यावसायिक कनेक्शन के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अर्जित या उत्पन्न होने वाली सभी आय या भारत में किसी संपत्ति से, या भारत में किसी संपत्ति या आय के स्रोत से या भारत में स्थित पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से और

उसके बाद धारा 163(1)(बी) का संदर्भ दिया गया जो "व्यावसायिक संबंध" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है और उसके बाद विभिन्न प्राधिकारों का हवाला देते हुए, "व्यावसायिक संबंध" अभिव्यक्ति क्या बताती है, इसके सिद्धांत निकाले। इसने यह देखा कि अभिव्यक्ति "व्यावसायिक संबंध" किसी भी सटीक परिभाषा को स्वीकार करने के लिए बहुत व्यापक है, हालांकि इसमें कुछ प्रसिद्ध विशेषताएं हैं; कि क्या एक भारतीय कंपनी और एक अनिवासी कंपनी के बीच कोई व्यावसायिक संबंध है, यह तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्धारित किया जाना है; कि "व्यावसायिक संबंध" का सार एनआरसी और भारतीय व्यक्ति के बीच नजदीक, वास्तविक, घनिष्ठ संबंध और हितों की समानता का अस्तित्व है; ऐसे मामले में जहां भारतीय कंपनी/व्यक्ति के एनआरसी द्वारा प्रबंधन या वित्त या भागीदारी की पर्याप्त संपत्ति या मुनाफे के बंटवारे पर नियंत्रण होता है, नजदीकी/अंतरंग संबंध का अस्तित्व प्रमाणित होता है; और व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए, भारतीय कंपनी/व्यक्ति के साथ एनआरसी की गतिविधि या संचालन की निरंतरता होनी चाहिए और व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए एक भटका हुआ या पृथक लेनदेन पर्याप्त नहीं है।

10. सिद्धांतों को खारिज करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पत्राचार की सामग्री, एनआरसी द्वारा समझौते के तहत की गई सेवाओं की प्रकृति और सीमा का उल्लेख किया, निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव का

उल्लेख किया, जिसमें एनआरसी द्वारा किए जाने वाली सेवाओं के दायरे को निर्धारित करते हुए एनआरसी द्वारा संबोधित 8 जुलाई 1993 के पत्र का अवलोकन किया गया था; एनआरसी को शुल्क का भुगतान करने के बोर्ड के निर्णय इस प्रकार लागू हुए:

> "एनआरसी के प्रस्ताव पत्र को ध्यान से पढ़ने और याचिकाकर्ता-कंपनी के निदेशक मंडल के संकल्प के उद्धरण पर, हमें यह स्पष्ट है कि भारत में सार्वजनिक निर्गम का प्रबंधन करना, याचिकाकर्ता-कंपनी के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ पत्र व्यवहार करना, उन शर्तों पर बातचीत करना जिन पर ऋण प्राप्त किया जाना चाहिए या इसके लिए दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करना, यह एनआरसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का हिस्सा नहीं था। एनआरसी को केवल एक व्यापक वित्तीय मॉडल विकसित करना है, परियोजना की रुपया/विदेशी मुद्रा ऋण आवश्यकताओं के लिए अनुबंध करना है, दुनिया भर में निर्यात ऋण एजेंसियों का आकलन करना है और वाणिज्यिक बैंक से सहायता प्राप्त करना है, याचिकाकर्ता-कंपनी को ऋणदाता के साथ ऋण वार्ता और दस्तावेज़ीकरण में सहायता करना है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एनआरसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा याचिकाकर्ता-कंपनी को

आवश्यक गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़कों और राजमार्गों, घुमावों और मोड़ों का संकेत देते हुए एक योजना तैयार करने के समान है; यह याचिकाकर्ता-कंपनी को एनआरसी द्वारा गंतव्य तक ले जाने पर विचार नहीं करता है। एक बार जब एनआरसी ने योजना तैयार कर ली और याचिकाकर्ता-कंपनी को ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक सलाह और सहायता दे दी, तो एनआरसी की जिम्मेदारी खत्म हो गई। यह याचिकाकर्ता-कंपनी पर निर्भर है कि वह सुझाई गई तर्ज पर आगे बढ़े और भारतीय या विदेशी एजेंसियों से ऋण प्राप्त करे। याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा ऋण प्राप्त करने पर, एनआरसी 'सफलता शुल्क' की पात्र हो जाती है।"

11. उच्च न्यायालय ने पत्रों पर गहनता से विचार किया और यह राय दी कि याचिकाकर्ता कंपनी और एनआरसी के बीच व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था। इसके बाद, रिट अदालत ने इस प्रस्ताव पर विचार किया कि क्या सफलता शुल्क अधिनियम की धारा 9(1) के खंड (vii)(बी) के अंतर्गत आ सकता है। उक्त प्रावधान की व्याख्या करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि:

"इस प्रकार खंड (vii) (बी) स्पष्टीकरण (2) के संयुक्त पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी प्रतिफल, चाहे एकमुश्त या अन्यथा, भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा किसी

भी प्रबंधकीय या तकनीकी या परामर्श सेवा के संचालन लिए अनिवासी को भुगतान किया जाता है, यह तकनीकी सेवा के लिए शुल्क के माध्यम से होने वाली आय होगी और इसलिए, "भारत में अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय" के दायरे में होगी। यदि यह धारा 9 (1) (vii) (बी) के तहत कराधान का दायरा है, तो 'सफलता शुल्क', जो याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा तकनीकी सेवा के लिए शुल्क के रूप में एनआरसी को देय है, उस पर आयकर लगाया जाएगा। आयकर अधिकारी ने आक्षेपित आदेश में कहा कि एनआरसी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रबंधकीय और परामर्श सेवाओं दोनों के दायरे में आती हैं। आयकर अधिकारी के उस आदेश को पुनरीक्षण में आयुक्त का समर्थन मिला। हमने ऊपर जो विचार व्यक्त किया है, उसमें हम आक्षेपित आदेश की पुष्टि करने के इच्छुक हैं।"

12. इस समय, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक तर्क पेश किया गया था कि एनआरसी ने कंपनी को कोई तकनीकी या परामर्श सेवा प्रदान नहीं की थी, बल्कि केवल ऋण के भुगतान के संबंध में सलाह दी थी और इसलिए, यह अधिनियम की धारा 9(1)(vii)(बी) के अर्थ के अंतर्गत तकनीकी या परामर्श सेवा के अंतर्गत नहीं आएगा। उक्त दलील को स्वीकार नहीं करते हुए, उच्च

न्यायालय ने कहा कि उक्त प्रावधान को आकर्षित करने के प्रयोजनों के लिए, कंपनी के व्यवसाय को आग, बिजली उत्पादन, संयंत्र और मशीनरी, प्रबंधन, आदि जैसे सशक्त और सुस्पष्ट भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और यह मानना कि प्रबंधकीय और तकनीकी और परामर्श सेवा प्रबंधन, बिजली उत्पादन और संयंत्र और मशीनरी से संबंधित है, लेकिन वित्त से नहीं। आगे विस्तार से बताते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि वित्त को मजबूत करने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए दी गई सलाह तकनीकी या परामर्श सेवा के दायरे में आ सकती है और "सफलता शुल्क" अधिनियम की धारा 9(1)(vii)(बी) के दायरे में तकनीकी सेवा की परिधि में आ जाएगा। इस दृष्टिकोण के चलते, उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्धारिती "अनापत्ति प्रमाणपत्र" का हकदार नहीं है।

13. जैसा कि कहा गया है, अधिनियम की धारा 9(1)(vii)(बी) की संवैधानिक वैधता को विधायी क्षमता और संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने 24 मार्च 1987 को डब्ल्यूपी नंबर 105/1987 में दिए गए इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम सीआईटी में पूर्व में खंड पीठ के फैसले का उल्लेख किया और इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि उक्त मामले को इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड बनाम सीआईटी (1990) 183 आईटीआर 43 (एससी); [(1989) पूरक 2 एसईसी 642] में अनुमोदन के साथ उद्धृत

किया गया था। अंततः, उच्च न्यायालय ने निर्धारिती-कंपनी द्वारा दी गई सभी दलीलों को अस्वीकृत कर दिया और रिट याचिका खारिज कर दी।

14. व्यथित होकर याचिकाकर्ता कंपनी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जब मामला इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया, जिसने संवैधानिक महत्व के दूरगामी मुद्दों और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उन्हें पहले इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में संदर्भित किया गया था, जिसे दिनांक 28.11.2000 के आदेश द्वारा, अंततः वापस ले लिया गया था, तत्काल मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया। 13.7.2010 को मामला फिर से तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया और उसी तारीख के अपने आदेश के तहत, मामले को संविधान पीठ के पास भेजा गया, जिसने (2011) 4 एससीसी 36 में रिपोर्ट किए गए 1.3.2011 के निर्णय के अनुसार संदर्भ का उत्तर दिया। न्यायालय द्वारा संविधान पीठ के समक्ष नियत मुद्दा इस प्रकार है:

> "स्पष्टता के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक है कि इस चरण में ही एक संक्षिप्त वर्णन किया जाए कि ईसीआईएल में अंतिम रूप से क्या निर्धारित कर लिया गया था और संवैधानिक पीठ को क्या भेजा गया था। अंतिम रूप से यह निर्धारित करने के बाद कि अनुच्छेद 245 के खंड (1) और (2) साथ पढ़ने पर एक आवश्यकता लगाते हैं कि संसद

द्वारा बनाए गए कानूनों का भारत के साथ संबंध होना चाहिए, ईसीआईएल में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि इस पर विचार करने के लिए एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जाए कि क्या आक्षेपित प्रावधान के घटक यानी आयकर अधिनियम (1961) की धारा 9(1)(vii) ऐसे संबंध का संकेत देती है"

15. संविधान पीठ के समक्ष अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 9(1)(vii)(बी) की संवैधानिक वैधता के लिए अपनी चुनौती वापस ले ली और उक्त प्रावधान की प्रयोज्यता के बारे में तथ्यात्मक साँचे पर आगे बढ़ने के लिए चुना। हालाँकि, जैसा कि विद्वान अटॉर्नी जनरल ने ईसीआईएल मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दबाव डाला, बड़ी पीठ ने संसद की संविधान के अनुच्छेद 245 के खंड (1) के अनुसार कानून बनाने की शक्तियों पर एक सीमा के रूप में भारत के क्षेत्र के साथ संबंध या सांठगांठ की आवश्यकता की वैधता पर विचार किया। न्यायालय ने ईसीआईएल में अनुपात का उल्लेख किया, विद्वान अटॉर्नी जनरल के प्रस्तावों और संविधान की व्याख्या से संबंधित सिद्धांतों पर ध्यान दिया, अनुच्छेद 245 का शाब्दिक विश्लेषण किया, अनुच्छेद 245 के संवैधानिक स्थलाकृति स्थान का विश्लेषण किया और अनुच्छेद 260 के संदर्भ में अनुच्छेद 245 का व्यापक संरचनात्मक विश्लेषण इस प्रकार सामने आया:

"ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान अटॉर्नी जनरल की चिंताएं इस बात को लेकर अधिक रही होंगी कि क्या ईसीआईएल में अनुपात अनुच्छेद 245 द्वारा संसद को दी गई विधायी शक्तियों को कम कर सकता है। एक गहन पाठ्य विश्लेषण के साथ संयुक्त संवैधानिक स्थलाकृति, संरचना, मूल्यों और योजना के व्यापक विश्लेषण ने संसद के लिए अधिक जटिल रूप से प्रावधानित शक्तियों के वर्ग का खुलासा किया है. वास्तव में जब राज्य के किसी अंग को अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाने और संवैधानिक जनादेश को लागू करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां संविधान के पाठ से एकत्र की जा सकती हैं, ठीक से जिस व्यापक सन्दर्भ में यह स्थित है उसका विश्लेषण करके और समझकर, शक्तियों के ऐसे अनावश्यक रूप से अस्पष्ट अहंकार का दावा क्यों किया जाना चाहिए? ऐसी माँगों के आगे झुकना, संविधान के संपूर्ण पाठ और संरचना द्वारा अप्रयुक्त अर्थों और संभावनाओं को आयात करने का जोखिम उठाना होगा। ऐसी मांगें हमेशा बाहरी मामलों से निपटने के लिए, या भारत में या भारत में किसी कथित गंभीर खतरे या किसी गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या, बाहरी या आंतरिक, से निपटने के लिए की जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यह और भी महत्वपूर्ण है कि न्यायालय अतिरिक्त सावधानी बरतें।"

16. इसके बाद, न्यायालय ने उन दो प्रश्नों को दोहराया जो उसने शुरुआत में निर्धारित किये थे। पहला प्रश्न इस प्रकार है:

> "(1) क्या संसद संवैधानिक रूप से उन अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों के संबंध में कानून बनाने से प्रतिबंधित है जिसका निम्नलिखित पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मूर्त या अमूर्त प्रभाव या प्रभाव या परिणाम नहीं है, न ही पड़ने की उम्मीद है:
>
> (ए) भारत का क्षेत्र, या भारत का कोई हिस्सा; या
>
> (बी) भारत के निवासियों और भारतीयों के हित, समृद्धि, कल्याण या सुरक्षा?"

उसी का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने कहा:

> "उपरोक्त का उत्तर हाँ होगा। हालाँकि, संसद अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों-घटनाओं, चीजों, परिघटनाओं (चाहे वे कितनी भी सामान्य क्यों न हों), संसाधन, कार्य या लेन-देन, और इसी तरह की चीजें, जो स्वाभाविक रूप से या किसी मानवीय एजेंसी के कारण, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जैविक, पर्यावरणीय या भौतिक क्षेत्रों में घटित होती हैं, उत्पन्न होती हैं या मौजूद होती हैं या ऐसा होने की उम्मीद की जा सकती हैं भारतीय क्षेत्र के बाहर, और ऐसे अतिरिक्त-क्षेत्रीय

पहलुओं या कारणों के प्रभावों को नियंत्रित करने, नियंत्रित करने, कम करने या बदलने की कोशिश करते हैं, या उपयुक्त मामलों में, ऐसे अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों को समाप्त करने या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, केवल तभी जब ऐसे अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों का प्रभाव पड़ता है, या निम्नलिखित पर कुछ असर डालने, या प्रभाव पड़ने, या परिणाम होने की उम्मीद है: (ए) भारत का क्षेत्र, या भारत का कोई हिस्सा; या (बी) भारत के निवासियों और भारतीयों के हित, कल्याण, समृद्धि या सुरक्षा।"

और उसके बाद:

"क्या संसद द्वारा अधिनियमित कोई विशेष कानून अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलू या कारण के बीच ऐसा वास्तविक संबंध, या अपेक्षित वास्तविक संबंध दिखाता है और भारत में या भारत और भारतीयों से संबंधित कुछ, प्रभाव, प्रभाव या परिणाम के संदर्भ में, तथ्यों और कानून का एक मिश्रित मामला होगा। जाहिर है, जहां संसद स्वयं संवैधानिक आवश्यकता से परे इस तरह के संबंध की एक उपाधि रखती है कि यह वास्तविक हो और काल्पनिक नहीं, तो अदालतों को कानून के संचालन में ऐसी आवश्यकता को उस कानून के मामले के रूप में लागू करना होगा, न कि संविधान।"

17. संविधान पीठ द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्न इस प्रकार है:

"(2) क्या संसद के पास भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के अलावा किसी भी क्षेत्र "के लिए" कानून बनाने की शक्ति है?

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया:

"उपरोक्त का उत्तर नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि संसद को उन पहलुओं या कारणों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है जो भारत के क्षेत्र के भीतर घटित, उत्पन्न या मौजूद हैं, या ऐसा करने की उम्मीद की जा सकती है, और साथ ही अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों के संबंध में जिनका भारत पर प्रभाव पड़ता है या उनके साथ संबंध है, जैसा कि ऊपर प्रश्न 1 के उत्तर में बताया गया है। ऐसे कानून "भारत के संपूर्ण या उसके किसी भी हिस्से के लिए" कानून बनाने के लिए संसद को दी गई शक्तियों के अर्थ, उद्देश्य और दायरे में आएंगे, और उन्हें इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता है कि उन्हें अतिरिक्त-प्रादेशिक संचालन की आवश्यकता हो सकती है। अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहलुओं या कारणों के संबंध में संसद द्वारा अधिनियमित कोई भी कानून जिसका भारत पर कोई प्रभाव या संबंध नहीं है, अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा, जैसा कि ऊपर प्रश्न 1 के उत्तर

में दिया गया है, और विदेशी क्षेत्र के लिए "बनाए गए कानून" होंगे।"

संदर्भ का उत्तर दिए जाने के बाद मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

18. हमने श्री यू.ए. राणा, अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील और श्री अरिजीत प्रसाद, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना है।

19. सबसे पहले, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती वापस ले ली गई है, और तदनुसार संविधान पीठ द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए उस पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मामले की जड़ यह है कि क्या तथ्यात्मक साँचा प्राप्त करने में उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत होना उचित था कि निर्धारिती-कंपनी अधिनियम के तहत "अनापत्ति प्रमाणपत्र" की हकदार नहीं थी क्योंकि यह एनआरसी को भुगतान से संबंधित स्रोत पर कर में कटौती करने के दायित्व के तहत था चूँकि सफलता शुल्क के चरित्र को अधिनियम की धारा 9(1)(vii)(बी) की सीमा और प्रसार में लाने के लिए राजस्व द्वारा प्रमाणित किया गया था।

20. इस समय, यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि एनआरसी एक है अनिवासी कंपनी और इसका भारत में व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है। राजस्व कोई मामला सामने नहीं लाए है कि आय वास्तव में भारत में

एनआरसी द्वारा उत्पन्न या प्राप्त हुई थी। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा एनआरसी को दिए गए भुगतान या रसीद को रिकॉर्ड किया है क्योंकि सफलता शुल्क अधिनियम की धारा 9(1)(i) के तहत कर योग्य नहीं होगा क्योंकि लेनदेन/गतिविधि का कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था। इस संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष **सी.आई.टी. बनाम अग्रवाल एंड कंपनी (1965) 56 आईटीआर 20, सी.आई. टी. बनाम टीआरसी 1987) 166 आईटीआर 1993** और **बीरेंद्र प्रसाद राय बनाम आईटीसी (1981) 129 आईटीआर 295** मामले में बताए गए सिद्धांतों के मद्देनजर बिल्कुल बचाव योग्य है। यह स्थिति होने के कारण, एकमात्र प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना बाकी है, वह यह है कि क्या एनआरसी के लिए अपीलकर्ता द्वारा सफलता शुल्क के रूप में भुगतान किया गया भुगतान या रसीद अधिनियम की धारा 9(1)(vii) के तहत भारत में कर योग्य माना जाएगा। जैसा कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स से पता चलेगा, अपीलकर्ता ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दोहरे कराधान बचाव समझौते को लागू नहीं किया है। ऐसा नहीं होने पर, हमें केवल इस बात की चिंता है कि क्या निर्धारिती द्वारा कहा गया "सफलता शुल्क" "तकनीकी सेवा के लिए शुल्क" है जैसा कि अधिनियम की धारा 9(1)(vii) के तहत दिया गया है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

"9. आय भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाएगी––(1) निम्नलिखित आय भारत में अर्जित या उत्पन्न मानी जाएग—

(vii) तकनीकी सेवाओं के देय शुल्क के माध्यम से आय द्वारा—

(ए) सरकार; या

(बी) एक व्यक्ति जो निवासी है, सिवाय इसके कि जहां शुल्क भारत के बाहर ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे में उपयोग की जाने वाली सेवाओं के संबंध में शुल्क देय है या कोई आय अर्जित करने के उद्देश्य से भारत के बाहर किसी भी स्रोत से; या

(सी) एक व्यक्ति जो अनिवासी है, जहां भारत में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवसाय या पेशे में उपयोग की जाने वाली सेवाओं के संबंध में या भारत में किसी भी स्रोत से कोई आय अर्जित करने के प्रयोजनों के लिए शुल्क देय है:

[बशर्ते कि इस खंड में निहित कोई भी बात 1 अप्रैल, 1976 से पहले किए गए और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित समझौते के अनुसरण में देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से किसी भी आय के संबंध में लागू नहीं होगी।]

[स्पष्टीकरण 1.-पूर्वगामी परंतुक के प्रयोजनों के लिए, 1 अप्रैल 1976 को या उसके बाद किया गया कोई समझौता, उस तारीख से पहले किया गया माना जाएगा यदि समझौता उस तिथि से पहले केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार किया गया है।]

[स्पष्टीकरण 2.] - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क ए" का अर्थ है कोई भी प्रतिफल (किसी भी एकमुश्त प्रतिफल सहित) किसी भी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श सेवाओं (तकनीकी या अन्य कर्मियों की सेवाओं के प्रावधान सहित) के प्रतिपादन के लिए, लेकिन इसमें प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए किसी भी निर्माण, असेंबली, खनन या इसी तरह की परियोजना के लिए प्रतिफल या वह प्रतिफल शामिल नहीं है जो प्राप्तकर्ता कि "वेतन" मद के अंतर्गत प्रभार्य आय होगी।]

21. धारा 9(2) का स्पष्टीकरण 1.6.1976 से पूर्वव्यापी प्रभाव से वित्त अधिनियम 2010 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उक्त प्रतिस्थापन से पहले, 1.6.1976 से पूर्वव्यापी प्रभाव से वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा एक और स्पष्टीकरण शामिल किया गया था। उक्त स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:

<u>"जैसा कि वित्त अधिनियम 2010 द्वारा संशोधित किया गया है</u>

स्पष्टीकरण.- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए; एक अनिवासी की आय को उपधारा (1) के खंड (v) या खंड (vi) या खंड (vii) के तहत भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाएगा और इसे अनिवासी की कुल आय में शामिल किया जाएगा, चाहे या नहीं,-

(i) अनिवासी के पास भारत में निवास या व्यवसाय का स्थान या व्यावसायिक संबंध है; या

(ii) अनिवासी ने भारत में सेवाएं प्रदान की हैं।]

जैसा कि वित्त अधिनियम 2007 द्वारा संशोधित किया गया है

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां आय को उप-धारा (1) के खंड (v), (vi) और (vii) के तहत भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता है, ऐसी आय को अनिवासी की कुल आय में शामिल किया जाएगा, चाहे अनिवासी के पास भारत में निवास या व्यवसाय का स्थान या व्यावसायिक संबंध हो या नहीं।"

22. मुख्य प्रावधान अधिनियम की धारा 9(1)(vii) का खंड (बी) है। उक्त प्रावधान एक अपवाद प्रस्तुत करता है। खंड (बी) के उत्तरार्ध में दिया गया अपवाद उस स्थिति पर लागू होता है जब किसी भारतीय भुगतानकर्ता द्वारा भारत के बाहर किए गए व्यवसाय या पेशे के लिए उपयोग की गई सेवाओं के संबंध में शुल्क देय होता है या भारतीय निर्धारिती द्वारा आय

अर्जित करने के उद्देश्य से यानी भुगतानकर्ता द्वारा भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय अर्जित करने के उद्देश्य से। उक्त खंड की एक अध्ययनित जांच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उस सिद्धांत को निर्धारित करता है जिसे मूल रूप से "स्रोत नियम" के रूप में जाना जाता है, अर्थात, प्राप्तकर्ता की आय उस देश में शूलकित या प्रभार्य होगी जहां भुगतान का स्रोत है, यह स्पष्ट करने के लिए, कि भुगतानकर्ता जहाँ स्थित है। यह खंड यह भी आदेश देता है और अपेक्षा करता है कि सेवाओं का उपयोग भारत में किया जाना चाहिए।

23. "स्रोत नियम" के बारे में बताने के बाद, यह उचित रूप से समझना आवश्यक है कि अवधारणा कैसे विकसित हुई है। 1920 के अंत में "लीग ऑफ नेशंस" के गठन के समय, इसमें यूरोपीय राज्यों और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व वाले केवल 27 देश शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, उसमें शुरुआत में 51 सदस्य थे। वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। समय के प्रवाह के साथ, ऐसे राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ है जो राजनीतिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं और इससे सीमा पार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। राज्य व्यापार अंततः अंतर्राष्ट्रीय कराधान क्षेत्राधिकार से संबंधित सिद्धांतों के निर्माण में परिणत हुआ। यह बताने के लिए किसी विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त कराधान सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और राज्यों के बीच कराधान आवंटित करने पर आधारित हैं। ये नियम दोहरे कराधान, कर

भेदभाव की संभावना को कम करने में और आगे प्रयास करते हैं और साथ में अपमानजनक कर परिहार या कर चोरी प्रथाओं का सहारा लेने पर निर्णय देने में मदद करते हैं। कुछ स्थितियों में, राष्ट्र, "कर शमन" के सिद्धांत का सहारा लेते हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय समझौतों के तहत घरेलू कानून में विदेश में लगे कर का लाभ देते हैं। दो सिद्धांतों, अर्थात् "निवास की स्थिति" और "आय के स्रोत की स्थिति" में अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में विचलन और अंतर देखा गया है।

24. दो सिद्धांतों, अर्थात् "निवास की स्थिति" और "आय के स्रोत की स्थिति" में अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में विचलन और अंतर देखा गया है। सिद्धांत "निवास राज्य कराधान" निर्धारिती के निवास के देश को प्रधानता देता है। यह सिद्धांत प्राकृतिक या न्यायिक व्यक्ति के निवास के देश में विश्वव्यापी आय और विश्वव्यापी पूंजी के कराधान को दर्शाता है। "स्रोत राज्य कराधान" नियम उस राज्य/राष्ट्र को किसी विशेष आय या लेनदेन पर कर लगाने के अधिकार की प्रधानता प्रदान करता है जहां उक्त आय का स्रोत स्थित है। दूसरा नियम, जैसा कि समझा जाता है, लेन-देन विशिष्ट है। विस्तृत रूप से कहें तो, स्रोत राज्य अपने क्षेत्र के भीतर लेनदेन या पूंजी पर कर लगाना चाहता है, भले ही आय लाभ किसी गैर-निवासी व्यक्ति, यानी दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति का हो। पूर्वोक्त सिद्धांत को कभी-कभी एक अलग नाम दिया जाता है, अर्थात क्षेत्रीय सिद्धांत। यहां यह बताना उचित होगा कि निवास आधारित कराधान को विकसित या पूंजी

निर्यातक देशों को लाभ पहुंचाने वाला माना जाता है, जबकि स्रोत आधारित कराधान पूंजी आयात करने वाले देशों, यानी विकासशील देशों की रक्षा करता है और उनके लिए अधिक फायदेमंद माना जाता है। यहां संबंध का सिद्धांत आता है, क्योंकि कर के अधिकार का संबंध स्रोत नियम से है। इसकी स्थापना किसी देश के उक्त राज्य में स्थित स्रोत से अर्जित आय पर कर लगाने के अधिकार पर की गई है, भले ही प्राप्तकर्ता का निवास किसी भी देश में हो। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि स्रोत आधारित कराधान को अंतरराष्ट्रीय कराधान कानून में स्वीकार और लागू किया जाता है।

25. जिन दो सिद्धांतों का हमने यहां ऊपर उल्लेख किया है, वे विभिन्न देशों में घरेलू कानून में भी लागू होते हैं। स्रोत नियम संबंध सिद्धांत के अनुरूप है और अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन के आधार पर उक्त सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है।स्रोत नियम के सिद्धांत की व्याख्या उस देश के रूप में की गई है जहां आय या धन भौतिक या आर्थिक रूप से उत्पादित होता है। [देखें **लीग ऑफ नेशन्स, रिपोर्ट ऑन डबल टैक्सैशन बाय ब्रुइन्स, इनाउदी, सैलिगमैन एण्ड सर जोसियाह स्टेन (1923)**]। उपर्युक्त सिद्धांत पर सराहना करते हुए, यह वहां लागू होगा जहां व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह या आंशिक रूप से एक स्रोत राज्य है, एक तार्किक परिणाम के रूप में, राज्य की अवधारणा में उचित रूप से वह देश भी शामिल होगा जहां उत्पाद की व्यावसायिक आवश्यकता उत्पन्न हुई थी, उदाहरण के लिए , जहां परामर्श का उपयोग किया जाता है।

26. पूर्वोक्त से, यह काफी स्पष्ट है कि आय स्रोत की अवधारणा बहुआयामी है और इसमें विभिन्न रूप लेने की क्षमता है [देखें **क्लान्स वोगेल, वर्ल्ड वाइड वी. सोर्स टैक्सैशन ऑफ इन्कम–रिव्यू एण्ड रिविज़न ऑफ आरग्यूमेन्टस (1988)**]। उक्त नियम को पर्मानेंट ईस्टैब्लिश्मन्ट; इरोशन ऑफ टैक्स ट्रीटी प्रिन्सपल में अरविद ए. स्कार द्वारा इस आधार पर उचित ठहराया गया है कि व्यावसायिक उद्यम का मुनाफा मुख्य रूप से एक गतिविधि की उपज है, क्योंकि पूंजी उस हद तक लाभदायक है जब तक इसका सक्रिय रूप से लाभदायक तरीके से उपयोग किया जाता है। इस सीमा तक, न तो व्यावसायिक उद्यम की गतिविधि और न ही बनाई गई पूंजी, निवास पर निर्भर करती है।

27. इन पहलुओं पर ध्यान देने का उद्देश्य केवल यह उजागर करना है कि स्रोत नियम को संयुक्त राष्ट्र टिप्पणियों और आर्थिक निगम और विकास संगठन (ओईसीडी) टिप्पणियों में उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। यह सर्वविदित है कि अंतरराष्ट्रीय कराधान कानून द्वारा किसी संप्रभु क्षेत्र पर किसी राज्य के संप्रभु अधिनियम को थोपना निषिद्ध है। औपचारिक क्षेत्रीयता का यह सिद्धांत विशेष रूप से विदेशों में आंतरिक कानूनी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से लागू होता है। [देखें **द इन्ट्रोडक्शन ऑफ क्लाउस वोगेल ऑन डबल टैक्सैशन कन्विक्शन, साउथ एशियन रीप्रिन्ट एडिशन 2007**]। इसलिए, स्रोत पर कर की कटौती लागू होने पर यह सुनिश्चित करना होगा कि इस सिद्धांत का उल्लंघन न हो।

28. मौजूदा मामले की बात करें तो यह स्पष्ट है कि जिस शुल्क को निर्धारिती ने "सफलता शुल्क" नाम दिया है, उसका भुगतान एनआरसी को किया गया है। यह देखा जाना चाहिए कि क्या अनिवासी को किया गया भुगतान अधिनियम की धारा 9(1)(vii) के स्पष्टीकरण (2) में निहित अभिव्यक्ति "तकनीकी सेवा के लिए शुल्क" के तहत आवृत किया जाएगा। उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श सेवाएं प्रदान करने में कोई भी विचार, चाहे एकमुश्त या आवधिक हो। इसमें अनिवासी द्वारा किए गए किसी भी निर्माण, संयोजन, खनन या ऐसी परियोजनाओं के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल को शामिल नहीं किया गया है जो कि प्राप्तकर्ता या प्रतिफल है जो "वेतन" मद के तहत गैर-प्राप्तकर्ता या अनिवासी के हाथों कर योग्य होगा। मौजूदा मामले में, उक्त अपवाद लागू नहीं होते हैं। इस बात की जांच करने की आवश्यकता है कि अपीलकर्ता ने योग्य और अनुभवी पेशेवरों की विशेषज्ञ सेवाओं का उपयोग करने का इरादा और इच्छा जताई थी जो बिजली परियोजनाओं के लिए आवश्यक वित्त और संबंधित ऋण जुटाने के लिए एक योजना तैयार कर सकें। चूंकि कंपनी को भारत में कोई पेशेवर नहीं मिला, इसलिए उसने स्विट्जरलैंड स्थित सलाहकार एनआरसी से संपर्क किया, जिन्होंने अपनी सेवाएं दीं। उनकी प्रदान की गई सेवाओं में अन्य बातों के अलावा, ऋणदाता को दी जाने वाली वित्तीय संरचना और सुरक्षा पैकेज, स्थानीय और विदेशी उधार के लिए विभिन्न ऋण विकल्पों का अध्ययन, दुनिया भर में विशेषज्ञ ऋण निगमों का मूल्यांकन करना और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी शर्तों पर

वाणिज्यिक बैंक से सहायता प्राप्त करना, ऋणदाताओं के साथ ऋण वार्ता और दस्तावेज़ीकरण में अपीलकर्ता कंपनी की सहायता करना, समन्वित और शीघ्र तरीके से परियोजना के लिए वित्तपोषण की संरचना, बातचीत और समापन करना शामिल है।

29. इस संदर्भ में, एनआरसी द्वारा संबोधित दिनांक 8.7.1993 के पत्र को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

> "हम एबीबी पीटीएफ द्वारा निष्पादित की जाने वाली सेवाओं के निम्नलिखित दायरे का प्रस्ताव करते हैं:
>
> ऋणदाताओं को पेश किए जाने वाले वित्तीय ढांचे और सुरक्षा पैकेज को एक साथ रखने में जीवीके इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("जीवीके") की सहायता करना;
>
> स्थानीय और विदेशी उधार दोनों के लिए विभिन्न उधार विकल्पों के फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करना;
>
> परियोजना का मूल्यांकन करने और विभिन्न संवेदनशीलता अध्ययन करने के लिए एक व्यापक वित्तीय मॉडल विकसित करना;
>
> विदेशी और स्थानीय ऋण रखने के आधार के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रारंभिक सूचना ज्ञापन तैयार करना; दुनिया भर में निर्यात क्रेडिट एजेंसियों तक पहुंचना,

सबसे व्यापक शर्तों पर वाणिज्यिक बैंक से सहायता प्राप्त करना;

उधारदाताओं के साथ ऋण वार्ता और दस्तावेज़ीकरण में जीवीके की सहायता करना; और

समन्वित और शीघ्र तरीके से इस परियोजना के लिए वित्तपोषण की संरचना, बातचीत और समापन करना।

हम केवल सफलता पर आधारित मुआवज़ा संरचना का प्रस्ताव करते हैं। अपवाद के रूप में, एबीबी पीटीएफ किसी भी अनुचर या एबीबी पीटीएफ द्वारा किए गए यात्रा और अन्य खर्चों के लिए कोई प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव नहीं करता है।

सफलता शुल्क कुल ऋण का 0.75% होगा, जो वित्तीय समापन पर देय होगा।"

30. उक्त पत्र 21 अगस्त, 1993 को आयोजित बैठक में अपीलकर्ता कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था। बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव का प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिया गया है:

"...निदेशकों को यह समझाया गया कि परियोजना के लिए एबीबी-पीटीएफ की सेवा के दायरे में शामिल हैं:

एक व्यापक वित्तीय मॉडल का विकास करना;

परियोजना की रुपया/विदेशी मुद्रा ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना;

दुनिया भर में निर्यात ऋण एजेंसियों का आकलन करना और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी शर्तों पर वाणिज्यिक बैंकों का समर्थन प्राप्त करना;

ऋणदाताओं के साथ ऋण वार्ता और दस्तावेज़ीकरण में जीवीके की सहायता करना। सेवा के उपरोक्त दायरे के लिए एबीबी पीटीएफ को ऋण राशि का 0.75% शुल्क का भुगतान किया जाएगा जो केवल सफल वित्तीय समापन पर देय है। निदेशकों ने इस व्यवस्था को मंजूरी देते हुए सलाह दी कि एबीबी-पीटीएफ को भी कंपनी के सार्वजनिक निर्गम में शामिल किया जाना चाहिए।"

31. उपरोक्त दो दस्तावेजों से बिल्कुल स्पष्ट है कि एनआरसी का दायित्व यह था:

(i) परियोजना की रुपये और विदेशी मुद्रा ऋण आवश्यकताओं के अनुबंसध के लिए व्यापक वित्तीय मॉडल विकसित करना।

(ii) दुनिया भर में विशेषज्ञ ऋण निगमों तक पहुंचना और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी शर्तों पर वाणिज्यिक बैंक से सहायता प्राप्त करना।

(iii) ऋणदाताओं के साथ ऋण वार्ता और दस्तावेज़ीकरण में अपीलकर्ता कंपनी की सहायता करना।

32. एनआरसी द्वारा किए गए उपरोक्त प्रयासों के अनुरूप, कंपनी भारत में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) से ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सफल रही, जिसने रुपये की ऋण आवश्यकता के लिए प्रमुख वित्तदाता के रूप में काम किया। विदेशी मुद्रा ऋण की आवश्यकता के लिए, अपीलकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन डीसी, यूएसए से संपर्क किया और सफल रहा। इस पृष्ठभूमि में, एनआरसी को 5.4 करोड़ रुपये की "सफलता शुल्क" का भुगतान किया गया था।

33. इस तथ्यात्मक स्कोर में अभिव्यक्ति, प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श सेवा को समझा जाना है। उक्त अभिव्यक्तियों को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, और इसलिए, यह जांचना हमारी ओर से अनिवार्य है कि व्यवसाय में लगे व्यक्तियों द्वारा उक्त अभिव्यक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है और कैसे समझा जाता है। उक्त शब्दों के सामान्य एवं सामान्य प्रयोग को आम बोलचाल में समझना होगा।

34. मौजूदा मामले में, हम "परामर्श सेवाएँ" अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। इस संबंध में, अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्णय का संदर्भ पुनः दिया गया। **इसके कानूनी मामले में पी. नंबर 28 1999 (1999) 242 आईटीआर 280** का लागू होगा. उसमें दी गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

> "इस संदर्भ में तकनीकी सेवाओं से हमारा तात्पर्य उन सेवाओं से है जिनके लिए प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता की

आवश्यकता होती है। परामर्श सेवाओं से हमारा तात्पर्य इस संदर्भ में सलाहकार सेवाओं से है। तकनीकी और परामर्श सेवाओं की श्रेणी कुछ हद तक परस्परव्याप्त है क्योंकि एक परामर्श सेवा तकनीकी सेवा भी हो सकती है। हालाँकि, परामर्श सेवाओं की श्रेणी में एक सलाहकार सेवा भी शामिल है, चाहे इसे निष्पादित करने के लिए प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता की आवश्यकता हो या नहीं।"

35. इस संदर्भ में, **सी.आई.टी. बनाम भारती सेल्युलर लिमिटेड और अन्य (2009) 319 आईटीआर 139** के निर्णय का संदर्भ उपयुक्त होगा। उक्त मामले में, "परामर्श सेवाओं" की अवधारणा से निपटते समय, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

"इसी प्रकार, शब्द "परामर्श" को उक्त शब्दकोश में "परामर्शदाता का कार्य या पद" के रूप में परिभाषित किया गया है; सलाहकारों का एक विभाग। "सलाहकार" को अन्य बातों के साथ-साथ "एक व्यक्ति जो किसी विशेष क्षेत्र में पेशेवर सलाह या सेवाएँ देता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह स्पष्ट है कि "सलाहकार" शब्द "परामर्श" शब्द का व्युत्पन्न है जिसमें मंत्रणा, विचार, किसी के साथ परामर्श करना, किसी मामले के बारे में विचार-विमर्श करना शामिल है। परामर्श को उक्त शब्दकोश में भी परिभाषित

किया गया है जैसे "सलाह मांगना, परामर्श लेना या पेशेवर राय लेना; देखें (सूचना का एक स्रोत); प्रस्तावित कार्रवाई के लिए अनुमति या अनुमोदन लें । यह स्पष्ट है कि परामर्श सेवा में आवश्यक रूप से मानवीय हस्तक्षेप भी शामिल है। परामर्शदाता, जो परामर्श सेवा प्रदान करता है, एक इंसान होना चाहिए। एक मशीन को सलाहकार नहीं माना जा सकता।"

36. इस संदर्भ में, हम ब्लैक'स लॉ डिक्शनरी, आठवें संस्करण में 'परामर्श' के शब्दकोश अर्थ का सार्थक रूप से उल्लेख कर सकते हैं। 'परामर्श' शब्द को किसी से (जैसे कि एक वकील) सलाह या राय मांगने के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब एक बैठक है जिसमें एक दल परामर्श या विचार-विमर्श करता है और अंततः इसका परिणाम मानवीय संपर्क में होता है जो सलाह देने की ओर ले जाता है।

37. मामले में तथ्यात्मक साँचे के रूप में, यह उजागर होगा कि एनआरसी ने एक सलाहकार के रूप में काम किया था। इसके पास क्षेत्र विशेष में कौशल, सूजबूझ और जानकारी थी यानी आवश्यक वित्त के लिए एक योजना तैयार करने की और आवश्यक ऋणों के अनुबंध की। एनआरसी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति का उल्लेख हमारे द्वारा पहले किया जा चुका है। एनआरसी द्वारा निर्दिष्ट सेवा की प्रकृति, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 'परामर्श सेवा' शब्द के दायरे में आएगी और

इसलिए, यह सही माना गया है कि भुगतान की गई राशि के रूप में स्रोत पर कर काटा जाना चाहिए था क्योंकि शुल्क 'तकनीकी सेवा के लिए शुल्क' मद के तहत कर योग्य हो सकता है। एक बार कर का भुगतान हो जाने के बाद 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' देना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं था। अतः उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश बिल्कुल अभेद्य हैं।

38. नतीजतन, अपील, योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

याचिका खारिज की गई।

देविका गुजराल

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।